संख्या-438/2025/1039/25-27-सिं0-04/001-58(डब्ल्यू)/2008-ई-1746609

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2025**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2301/आई0बी0/टी0 एण्ड पी0/2025-26, दिनांक 14.08.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष **2025-26** में लेखा शीर्षक **4700** मुख्य सिंचाई एवं **4701** मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 **4800.00** लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 **3665.50** लाख (रूपये छत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-2 एवं 3 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	**संगठन का नाम**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
4700-80-052-07-0703-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(नवीन सम्पूर्ति)**		
1	अनुसंधान एवं नियोजन, लखनऊ	3.00
2	शारदा सहायक, लखनऊ	205.00
3	बेतवा, झांसी	40.00
4	यमुना, ओखला	25.00
5	रामगंगा, कानपुर	110.00
6	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ	200.00
7	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	7.00
9	नलकूप दक्षिण, कानपुर	5.00
10	नलकूप मध्य, लखनऊ	30.00
11	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	1.00
	कुल योग(4700-03-12)	**626.00**
4700-80-052-07-0703-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(नवीन सम्पूर्ति)**		
12	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	95.00
13	शारदा सहायक, लखनऊ	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

14	बेतवा, झांसी	30.00
15	परिकल्प, लखनऊ	10.00
16	सरयू परियोजना-1 अयोध्या	8.00
17	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ	100.00
18	नलकूप पूर्व, अयोध्या	200.00
19	नलकूप दक्षिण, कानपुर	10.00
20	नलकूप मध्य, लखनऊ	70.00
21	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	2.50
	कुल योग(4700-03-26)	**625.50**
4700-80-052-07-0704-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(मरम्मत)**		
22	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	70.00
23	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	30.00
24	यमुना, ओखला	22.00
25	शारदा सहायक, लखनऊ	23.00
26	रामगंगा, कानपुर	25.00
27	नलकूप पूर्व, अयोध्या	15.00
28	नलकूप दक्षिण,कानपुर	5.00
29	बेतवा, झांसी	5.00
30	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	2.50
	कुल योग(4700-04-12)	**197.50**
4700-80-052-07-0704-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(मरम्मत)**		
31	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	30.00
32	नलकूप मध्य, लखनऊ	55.00
33	बेतवा, झांसी	21.00
34	परिकल्प, लखनऊ	10.00
35	नलकूप पूर्व, अयोध्या	135.00
36	सरयू परियोजना-1 अयोध्या	5.00
37	नलकूप दक्षिण, कानपुर	15.00
38	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	2.50
	कुल योग(4700-04-26)	**273.50**
4700-80-052-07-0705-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(गाड़ी भाड़ा)**		
39	मुख्य अभियन्ता (सरयू-2) गोण्डा	46.00

http://shasanadesh.up.gov.in

40	बेतवा, झांसी	11.00
41	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	5.00
42	यमुना, ओखला	37.00
43	शारदा सहायक, लखनऊ	26.00
44	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ	10.00
45	रामगंगा, कानपुर	25.00
46	शारदा, बरेली	15.00
47	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	15.00
	कुल योग(4700-05-12)	**190.00**
4700-80-052-07-0705-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(गाडी भाड़ा)**		
48	मुख्य अभियन्ता (सरयू-2) गोण्डा	30.00
49	मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ	25.00
50	मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) लखनऊ	5.00
51	बेतवा, झांसी	5.00
52	सरयू परियोजना-1 अयोध्या	10.00
53	शारदा, बरेली	15.00
54	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	3.00
	कुल योग(4700-05-26)	**93.00**
	कुल योग 4700	**2005.50**
4701-80-052-03-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(नवीन सम्पूर्ति)**		
55	शारदा सहायक, लखनऊ	175.00
56	नलकूप मध्य, लखनऊ	6.00
57	यमुना, ओखला	20.00
58	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ	275.00
59	सरयू परियोजना-1 अयोध्या	70.00
60	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	7.00
61	बेतवा, झांसी	50.00
62	नलकूप पश्चिम, मेरठ	14.00
63	परियोजना, बेतवा	10.00
64	नलकूप पूर्व, अयोध्या	15.00
65	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	1.50
	कुल योग(4701-03-12)	**643.50**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4701-80-052-03-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(नवीन सम्पूर्ति)**		
66	शारदा सहायक, लखनऊ	125.00
67	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	70.00
68	नलकूप मध्य, लखनऊ	40.00
69	जल संसाधन, लखनऊ	15.50
70	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ	50.00
71	बेतवा, झांसी	30.00
72	नलकूप पूर्व, अयोध्या	80.00
73	नलकूप पश्चिम, मेरठ	14.00
74	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	1.00
	कुल योग(4701-03-26)	**425.50**
4701-80-052-04-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(मरम्मत)**		
75	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	15.00
76	नलकूप मध्य, लखनऊ	10.00
77	जल संसाधन, लखनऊ	7.00
78	यमुना, ओखला	20.00
79	सरयू परियोजना-1 अयोध्या	20.00
80	बेतवा, झांसी	10.00
81	नलकूप पूर्व, अयोध्या	30.00
	कुल योग(4701-04-12)	**112.00**
4701-80-052-04-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (मरम्मत)		
82	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	20.00
83	सरयू परियोजना-1 अयोध्या	50.00
84	बेतवा, झांसी	10.00
85	नलकूप पूर्व, अयोध्या	60.00
86	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0सं0) लखनऊ	2.50
	कुल योग(4701-04-26)	**142.50**
4701-80-052-05-12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण **(गाड़ी भाड़ा)**		
87	मुख्य अभियन्ता (सरयू-2) गोण्डा	51.00
88	बेतवा, झांसी	10.00
89	यमुना, ओखला	25.00
90	सरयू परियोजना-1 अयोध्या	50.00

http://shasanadesh.up.gov.in

91	सोन, वाराणसी	10.00
92	नलकूप पूर्व, अयोध्या	10.00
93	अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स0), लखनऊ	2.50
	कुल योग(4701-05-12)	**158.50**
4701-80-052-05-26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र **(गाड़ी भाड़ा)**		
94	मुख्य अभियन्ता (सरयू-2) गोण्डा	45.00
95	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज	15.00
96	सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ	20.00
97	नलकूप मध्य, लखनऊ	5.00
98	बेतवा, झांसी	25.00
99	जल संसाधन, लखनऊ	8.00
100	नलकूप पूर्व, गोरखपुर	5.00
101	नलकूप पश्चिम, मेरठ	55.00
	कुल योग(4701-05-26)	**178.00**
	योग (4701)	**1660.00**
	कुल योग (4700+4701)	**3665.50**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगठनों को स्तम्भ-3 के अनुसार टी0 एण्ड0 पी0 मद से अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4700800520703 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,26,00,000 (रुपये छह करोड़ छब्बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	094	4700800520703 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	6,25,50,000 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**12,51,50,000** **(रुपये बारह करोड़ इक्यावन लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4700800520704 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520704 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,97,50,000 (रुपये एक करोड़ सत्तानबे लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4700800520704 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2,73,50,000 (रुपये दो करोड़ तिहत्तर लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**4,71,00,000** **(रुपये चार करोड़ इकहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4700800520705 (गाड़ी भाड़ा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,90,00,000 (रुपये एक करोड़ नब्बे लाख मात्र)
2	094	4700800520705 गाड़ी भाड़ा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	93,00,000 (रुपये तिरानबे लाख मात्र)
	कुल			**2,83,00,000** **(रुपये दो करोड़ तिरासी लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520300 (नवीन सम्पूर्ति)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,43,50,000 (रुपये छह करोड़ तैंतालीस लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	4,25,50,000 (रुपये चार करोड़ पच्चीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**10,69,00,000 (रुपये दस करोड़ उनहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520400 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520400 मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,12,00,000 (रुपये एक करोड़ बारह लाख मात्र)
2	094	4701800520400 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,42,50,000 (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**2,54,50,000 (रुपये दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520500 (गाडी भाडा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	094	4701800520500 गाडी भाडा	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,58,50,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख पचास हजार मात्र)
2	094	4701800520500 गाडी भाडा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1,78,00,000 (रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)
	कुल			**3,36,50,000**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

				(रुपये तीन करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र)

महायोग	36,65,50,000 (रुपये छत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

रमा कान्त वर्मा

संयुक्त सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन)/(शारदा सहायक)/(बेतवा)/(यमुना)/(रामगंगा)/ (सूचना प्रणाली संगठन)/ (सरयू परियोजना-2)/(नलकूप-दक्षिण)/(नलकूप मध्य)/(अनुसंधान एवं नियोजन (ज0स))/(गंगा)/(परिकल्प)/(सरयू परियोजना-1)/ (नलकूप पूर्व)/(सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध)/(पूर्वी गंगा)/(शारदा)/(नलकूप-पश्चिम)/(परियोजना-बेतवा)/(जल संसाधन)/(सोन)/ (बाणसागर), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, झांसी, ओखला, कानपुर, गोण्डा, मेरठ, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

7- वरिष्ठ/ मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ, झांसी, ओखला, कानपुर, गोण्डा, मेरठ, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

9- नियोजन अनुभाग-3

10- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

चन्द्र भूषण

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।